हुकम कार्यवाही मय इनिषियल्स जज

तारीख हुकम तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन पत्र संख्या 19/2021 अनवान अब्दुल हकीम बनाम तहसीलदार बाड़मेर
01.02.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 02 से 04 के अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी ने भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत् प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत मौजा जूनेजों मेहरों की बस्ती भाड़खा पटवार हल्का भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 906/820 रकबा 121.15 बीघा किस्म बारानी दोयम मे तरमीम दुरूस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण मे विप्रार्थीगण संख्या 02 से 04 द्वारा तरमीम दुरूस्ती हेतु पूर्व मे ही अपनी सहमती जाहिर की जा चुकी है। प्रकरण मे तहसीलदार बाड़मेर से वांछित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक 5114 दिनांक 12.10.2021 के द्वारा भिजवाऐ गये प्रतिवेदन अनुसार मौका पर रेकर्ड व कब्जा–काश्त अनुसार जांच की गई। ग्राम जुनेजा मेहरों की बस्ती के खसरा नंबर 906/820 रकबा 121.15 बीघा भूमि का बंटवारा खातेदारों द्वारा आपसी सहमती से प्रशासन गांवों के संग कैम्प भाड़खा में तहसीलदार बाड़मेर के आदेश क्रमांक/राजस्व/2008/26 दिनांक 15.01.2008 की पालना में किया गया। उक्त बंटवारा अनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम की गई जो सलंग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है। लेकिन मौके पर लट्ठा नक्शा में तरमीम अनुसार खातेदारों के ढ़ाणियां एक दूसरे के खसरों में आ रही है, जिससे इन खातेदारों में आपसी विवाद उत्पन्न हो गया है। मौके पर कब्जा काश्त व खातेदारों द्वारा आपसी सहमती अनुसार तरमीम संलग्न नक्शा 'ब' के अनुसार की जानी प्रस्तावित है। सलंग्न नक्शा 'ब' मे अंकित तरमीम अनुसार ही खातेदारों का कब्जा–काश्त मौके पर है, तथा परिशिष्ट 'ब' में अंकित बरंग के अनुसार तरमीम करवाने के लिए समस्त खातेदार सहमत है। तथा समस्त खातेदारों ने फर्द–मौका व परिशिष्ट 'अ–'ब' पर हस्ताक्षर किए। अतः सलंग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस फर्द का अभिन्न अंग रहेगा। मौका फर्द मौके पर बनाई गई व पढ़कर सुनाई गई। सच होना स्वीकार कर हस्ताक्षर किए। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार नक्शे मे वर्णितानुसार प्रार्थी के खातेदार खेत मौजा जुनेजा मेहरों की बस्ती के खसरा नंबर 906/820 रकबा 121.15 बीघा मे तरमीम दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाड़मेर परिशिष्ट 'ब' अनुसार नक्शे मे तरमीम दुरूस्त करें। संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलाश में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर